(3)

न्यायालय, उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी, लातेहार।

राजसात वाद संख्या-45/2022

राज्य

बनाम्

मनोरंजन प्रसाद

—: आदेश :—

28/07/

वर्तमान वाद की प्रक्रिया पुलिस अधीक्षक, लातेहार के पत्रांक 1554/अप0शा0 दिनांक 30.07.2022 से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर प्रारम्भ किया गया।

राज्य सरकार की ओर से पुलिस अधीक्षक, लातेहार द्वारा दाखिल दस्तावेज एवं अभिलेख का अवलोकन किया।

यह वाद बालूमाथ थाना काण्ड संख्या—50/2022 दिनांक—22.03.2022 से संबंधित है। कांड में जप्त हाईवा रजि0 संख्या—JH13F-5867 को राजसात करने के लिए प्रस्ताव समर्पित किया गया।

राज्य की ओर से पुलिस अधीक्षक, लातेहार द्वारा दाखिल दस्तावेज में कहा गया है कि यह काण्ड वादी भिष्म मुण्डा, सहायक सुरक्षा अवर निरीक्षक, मगध कोल परियोजना के लिखित आवेदन के आधार पर बालूमाथ थाना काण्ड संख्या—50/2022 दिनांक—22.03.2022 दर्ज किया गया। दिनांक 21.03.2022 को समय रात्री 11:00 बजे एक लोड हाईवा रजि0 नं0—JH13F-5867 चमातु बैरियर नं0—10 से निकला जिसे मगध सुरक्षा विभाग से गठित दल द्वारा रोकने का इशारा करने पर हाईवा चालक ने हाईवा को नहीं रोका और हाईवा खड़ा कर भागने लगा जिसे सुरक्षा विभाग द्वारा दौड़ाकर पकड़ा गया। जांच करने पर कोयला संबंधित किसी तरह का कोई कागजात नहीं पाया गया। उक्त हाईवा चालक कोयला चोरी के नियत से कोयला चोरी करके भाग रहा था। अनुसंधान के क्रम में हाईवा रजि0 नं0—JH13F-5867 के मालिक का नाम पता सत्यापन से ज्ञात हुआ कि उक्त हाईवा के मालिक मनोरंजन प्रसाद, पे0—सुशील प्रसाद, सा0—पिपराडीह, थाना—सिमरिया, जिला—चतरा है। जप्त हाईवा रजि0 नं0—JH13F-5867 को राजसात करने का अनुरोध किया गया।

विपक्षी को पक्ष रखने के लिए बार—बार नोटिस निर्गत कर निबंधित डाक से उनके पते पर भेजा गया तथा स्थानीय दैनिक समाचार पत्रों में भी प्रकाशित कराया गया, जो अभिलेख के साथ संलग्न है। जप्त हाईवा रजि0 नं0—JH13F-5867 के वाहन मालिक द्वारा न्यायालय में उपस्थित होकर पक्ष रखने में अभिरूची नहीं लिया गया। फलस्वरूप वाद को एकपक्षीय करते

हुए राज्य की ओर से प्रस्तुत दस्तावेज के आधार पर वाद की सुनवाई की गयी।

"The Jharkhand Minerals (Prevention of Illegal Mining, Transportation and Storage) Rules 2017" के नियम 11(V) में उल्लेखित है कि "Any minerals, tool, equipment, vehicle or anything seized shall be liable to be confiscated by an order of the court of the Deputy Commissioner of the concerned district and shall be disposed of in accordance with direction of such court."

उपरोक्त तथ्यों के समीक्षोपरांत यह स्पष्ट होता है कि काण्ड में जप्त हाईवा रजि0 नं0–JH13F-5867 के द्वारा कोयला का अवैध परिवहन किया गया है। अतः हाईवा रजि0 नं0–JH13F-5867 को राजसात करने का आदेश दिया जाता है। जिला खनन पदाधिकारी, लातेहार 08 सप्ताह के अन्दर नियमानुसार वाहन की निलामी कर प्राप्त राशि को सरकारी कोष में जमा कर प्रतिवेदन समर्पित करेंगे। जिला परिवहन पदाधिकारी, लातेहार राजसात वाहन का निलामी की प्रक्रिया में आवश्यक सहयोग करेंगे।

आदेश की प्रति थाना प्रभारी, बालूमाथ थाना, जिला खनन पदाधिकारी, लातेहार, जिला परिवहन पदाधिकारी, लातेहार, पुलिस अधीक्षक, लातेहार एवं प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, लातेहार को भेजें।

अभिलेख को अभिलेखागार में जमा करें।

लिखाया एवं शुद्ध किया।

28/03/23

उपायुक्त,
लातेहार।

28/03/23

उपायुक्त,
लातेहार।

Digitally signed by BHOR SINGH YADAV
Date: 2023.04.21 14:01:22 +05:30
Location: 10.93.47.5